

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

मीरजापुर।

पत्रांक:आईजीआरएस-11/2024

दिनांक: नवम्बर 25, 2024

सेवा में,

लोक शिकायत अनुभाग-3

(मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय)

उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय,

कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त पी0जी0 पोर्टल (भारत सरकार) सन्दर्भ संख्या: 60000240221069 दिनांक 08-11-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो आवेदक श्री योगी एम0 पी0 सिंह निवासी सुरेखापुरम कॉलोनी थाना को0 कटरा, जनपद मीरजापुर के शिकायती प्रा0पत्र पर जाँच/कार्यवाही कराते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री योगी एम0 पी0 सिंह उपरोक्त के प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद मीरजापुर द्वारा करायी गयी। जाँच अधिकारी की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

✓ Mithu 25/11  
पुलिस अधीक्षक  
मीरजापुर

पुलिस अधीक्षक  
मीरजापुर

सन्दर्भ संख्या की जाँच आख्या:- 60000240221069

- 01 - आवेदक / शिकायतकर्ता का नाम/पिता का नाम पता व मो0नं0- योगी MP सिंह निवासी मोहल्ला सुरेकापुरम कालोनी श्रीलक्ष्मी नारायन बैकुंठ महादेव मन्दिर रीवा रोड हालपता संगमोहाल थाना को0 कटरा जनपद मीरजापुर मो0नं0 7379105911
- 02 - विपक्षी का नाम पता- नाम पता अज्ञात
- 03 - शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा के पैन कार्ड का उपयोग कर विभिन्न बैंको में खाता खोलना व उससे लेन देन करने के संबंध में।
- 04 - जाँच करने वाले अधिकारी का नाम व पद -विवेक जावला क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मीरजापुर। मो0नं0-9454401590
- 05 - जाँच का सारांश -संदर्भित प्रकरण की जांच के क्रम में प्रा0नि0 को0 कटरा से आख्या प्राप्त किया गया तो पाया गया कि आवेदक उपरोक्त पते का निवासी है जांच के क्रम में पाया गया कि आवेदक के साथ हुये साइबर फ्राड के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय को0 कटरा पर दिनांक- 11.11.2023 को मु0अ0सं0-291/23 धारा-420 भादवि व 66C/66D IT ACT बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध अरविन्द कुमार यादव थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर के द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया है व उससे प्राप्त प्रपत्रों को ग्रहण कर उस संबंध में विवेचना की जा रही है। आवेदक के साथ हुये साइबर फ्राड के संबंध में सम्बन्धित बैंको से पत्राचार करके उसके पैन कार्ड से संबंधित खातों की जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है व वादी के पैन कार्ड से संबंधित धोखा धड़ी होने वाले खातों के संबंध में NSDL विभाग से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त मुकदमे में विवेचना के दौरान अबतक केसडायरी में 15 पर्चे किता किये जा चुके हैं। विवेचक द्वारा संबंधित बैंको से लगातार पत्राचार किया जा रहा है परंतु उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। उपरोक्त मुकदमे में विवेचना प्रचलित है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि उक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर सफल अनावरण कर जल्द से जल्द विधिक कार्यवाही की जाये। जाँच आख्या सादर अवलोकनार्थ सेवा मे प्रेषित है।
- 07 - आरोप सिद्ध हो रहे हैं या नहीं -प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय को0 कटरा पर मु0अ0सं0-291/23 धारा-420 भादवि व 66C/66D IT ACT बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।
- 06 - कार्यवाही का विवरण/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण- निल
- 08 - अन्य कोई आवश्यक तथ्य हो तो उसका विवरण - निल

दिनांक:-नवम्बर 24/2024

(विवेक जावला)  
क्षेत्राधिकारी नगर  
मीरजापुर।